


21/20

पत्रावली प्रस्तुत की गई। वकील वादी अनुप
वकील प्रतिवादी संख्या 1, 2 एवं 4 उपस्थित।
वकील प्रतिवादी संख्या 1, 2, एवं 4 की प्रार्थना
पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.
पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रासंगिक
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम एवं राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों
एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजों का
अवलोकन किया। वकील प्रतिवादी सं.
1, 2 एवं 4 की एकपक्षीय बहस एवं प्रासंगिक
कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन पश्चात्
न्यायालय की राय में प्रतिवादी सं. 1, 2 एवं
4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 7 R 11 अन्तर्गत
~~संबन्धित~~ सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार
किया जाना उचित है।

फलतः प्रतिवादी संख्या 1, 2 एवं
4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
आदेश 7 नियम 11 सि.प्र.सं. सतद्वारा
स्वीकार किया जाता है एवं वादी द्वारा
प्रस्तुत वादपत्र को नामजूर किया जाता है।
विस्तृत निर्णय पृथक् लिखवाया जावेगा।

पत्रावली बाद तकमील नंबर से कम
होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया
गया।


21/11/2021
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़